इस गाइड (मार्गदर्शक पुस्तिका) में 'सहायता-प्राप्त स्वैच्छिक मृत्यु' से संबंधित संवेदनशील जानकारी हो सकती है

चर्चा गाइड 2:
पात्रता: सहायता प्राप्त स्वैच्छिक मृत्यु किसे उपलब्ध होनी चाहिए?

सहायता-प्राप्त स्वैच्छिक मृत्यु (VAD) एक ऐसी प्रक्रिया है जो योग्य व्यक्तियों को अपनी शर्तों पर अपना जीवन समाप्त करने का विकल्प देती है। योग्यता उन मानदंडों के संदर्भ में कहा गया है जो यह निर्धारित करते हैं कि VAD किन-किन के लिए उपलब्ध है। हम पात्रता के मानदंड निर्धारित करने और यह जानने के लिए भी आपके सुझावों को महत्व देते हैं कि लोगों को VAD कैसे उपलब्ध करवाई जा सकती है और वे उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं।

VAD केवल उन व्यक्तियों को उपलब्ध होनी चाहिए जो सभी मानदंडों को पूरा करते हैं।

निर्णय लेने में स म होना
VAD को उपयोग करने का क्निर्णय क्किसी व्यच्छक्त का स्वयं का होना चाक्हिए न क्कि क्किसी और दवारा लिया गया क्निर्णय।

हालाक्कि, VAD का उपयोग करने वाले सि ऑस्ट्रेलियाई राज्यों में, जो लोग क्निर्णय लेने की मता खो चुके हैं, वे सहायता-पीप्त स्वैच्छच्छक मृत्यु को नहीं अपना सकते हैं।

एक डॉक्टर केलिए यह आलकन करना आवश्यक है क्कि क्या वह व्यच्छक्त स्वतंत्र क्निर्णय ले सकता है या नहीं। यदि कोई डॉक्टर सोचता है क्कि क्किसी व्यच्छक्त की बीमारी या अव ा (जैसे क्कि उन्नत हो चुका क्डिमैंशिया) का मलतब है क्कि वह व्यच्छक्त VAD केबारे में क्निर्णय नहीं ले सकता है, तो वह व्यच्छक्त सहायता-पीप्त स्वैच्छच्छक मृत्यु पीप्त नहीं कर पाएगा।

इसका मलतब यह ी है क्कि कोई व्यच्छक्त क्किसी डॉक्टरी अव ा या बीमारी केक्विकसित होने से पलहे क्निर्णय नहीं ले सकता है (उदाहर केलिए, कोई व्यच्छक्त सहमक्ति देने केलिए योगय होने से पलहे सहमक्ति दे देता है, क्कि अपनी क्निर्णय लेने की मता खो देने केबाद, सहायता-पीप्त स्वैच्छच्छक मृत्यु केलिए उसका मू यांकन क्किया जाए और उसे ऐसी मृत्यु पीप्त करने दी जाए।

टैरिट्री में हमें क्किस मॉलड का उपयोग करना चाक्हिए?

किसी अव ा, बीमारी या रोग से पीड़ त होना
ऑस्ट्रेलिया में अन्य ानों पर, VAD पी प्त केलिए, क्किसी व्यच्छक्त की च्छ क्ति, बीमारी या रोग उन्नत, पगिक्तिशील हो चुका होना चाक्हिए या क्फिर ऐसा होना चाक्हिए जो संीक्वित तौर पर उसकी मृत्यु का कार बनेगा।

अिंकांश राज्यों में, अव ा ऐसी होनी चाक्हिए जो VAD चाहने वाले व्यच्छक्त केलिए असहनीय पीड़ा का कार बनी हुई हो।

तस्माक्निया में, कोई व्यच्छक्त VAD पीप्त कर सकता है यदि उसकी च्छ क्ति असहनीय पीड़ा का कार बन रही है, लेक्किन तब ि कर सकता है यदि उसका उपचार, उसकी असहनीय पीड़ा का कार बन रहा है, या यदि उसे उम्मीद है क्कि उसकी च्छ क्ति या उपचार वि य में असहनीय पीड़ा का कार बनेगा।

जल्द ही मृत्यु होने की उम्मीद है
सी ऑस्ट्रेलियाई राज्यों में, कोई व्यच्छक्त केवलत VAD पीप्त कर सकता है यदि छह से बारह महीनों केतिर उसकी मृत्यु होने की संीवना हो।

ऐसा इसलिए है क्कि कोई व्यच्छक्त VAD ति पीप्त कर पाए जब वह मरने केकरीब हो। क्किसी व्यच्छक्त की क्कितनी जदिी मृत्यु होने की संीवना है, यह अनुमान लगाने में कठिनाई केकार, इसका मलतब यह ी हो सकता है क्कि कोई व्यच्छक्त सहायता-पीप्त स्वैच्छच्छक मृत्यु पीप्त करने के योगय माने जाने से पलहे ही क ट ि रहा हो सकता है और मर सकता है। क्विक्टोरिया में, कोई व्यच्छक्त (अक्तिरिक्त पातिता मानदंडों केअलावा) VAD पीप्त कर सकता है यदि बीमारी, रोग या चिक्कित्सीय अव ा केकार छह महीने केतिर उसकी मृत्यु होने की संीवना है (या, न्यूरोडीजेनेरेटिव रोग, बीमारी या अव ा वाले व्यच्छक्त केमालमे में, 12 महीने केतिर)।

टैरिट्री में किसी व्यक्ति को सहायता-प्राप्त स्वैच्छिक मृत्यु प्राप्त करने के लिए योग्य कब मान लिया जाना चाहिए?

नॉर्दर्न टैरिट्री में रहना

ऑस्ट्रेलिया में अन्य स्थानों पर, सहायता-प्राप्त स्वैच्छिक मृत्यु प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया का नागरिक या स्थायी निवासी होना चाहिए। कुछ राज्य ऐसे व्यक्ति को भी VAD की अनुमति देते हैं जो लगातार कम से कम 3 वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में रह (resident) रहा हो।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि VAD की पात्रता के लिए लोगों का मूल्यांकन सही राज्य में किया जाए, सभी ऑस्ट्रेलियाई राज्यों में सख्त नियम हैं। एक व्यक्ति को ऑस्ट्रेलियाई नागरिक या स्थायी निवासी होना होगा, और VAD का अनुरोध करने से पहले उसे कम से कम 12 महीने तक उस राज्य में रह रहे होना चाहिए।

कुछ राज्यों में निवासी होने को छूट दी जा सकती है यदि उस व्यक्ति का राज्य से गहरा संबंध हो और छूट देने के लिए करुणामय आधार मौजूद हों। ऐसा उन मामलों में महत्वपूर्ण है जहां किसी व्यक्ति के संभावित रूप से NT में पारिवारिक या सांस्कृतिक संबंध हों और वह NT में VAD चाहता है, लेकिन रहता अंतरराज्यीय है।

आयु

ऑस्ट्रेलिया के अन्य हिस्सों में, VAD तक पहुंच 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों तक सीमित है। इसका मतलब है कि सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाला 17 वर्षीय व्यक्ति VAD प्राप्त नहीं सकता है।

हम आपके दृष्टिकोण को सुनने के लिए उत्सुक हैं कि उनकी निर्णय लेने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, कैसे हम पीड़ा का सामना कर रहे युवाओं के प्रति एक-सा व्यवहार कर सकते हैं और यदि वे VAD के अन्य सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं तो क्या प्रक्रियाएं लागू होनी चाहिए।

VAD के बारे में अधिक जानने और अपने सुझाव साझा करने के लिए, cmc.nt.gov.au/vad पर जाएँ